रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) *vide* Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

390 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.